जिला–रॉची
<u>न्यायालय अपर न्यायायुक्त VI, रॉची।</u>
पीठासीन – मिथिलेश कुमार सिंह
अपर न्यायायुक्त VI, रॉची।

<u>रॉची, दिनांक 03वीं जुलाई, 2025</u>

<u>Session Trial :– 187/2023</u>
CNR: JHRN01-003519-2023

राज्य (द्वारा–सुम्मी उराईन, उम्र–40 वर्ष पति–गंदरू उरॉव
पता–ग्राम–टेरो, पो.–खत्रीखटंगा, थाना–बेड़ो, जिला–रॉची)
———————————— अभियोजन

<u>ब ना म</u>

1. बिरसा उरॉव, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता–स्व0 मंगरू उरॉव,
पता – ग्राम–टेरो, थाना–बेड़ो, जिला–रॉची (झारखण्ड)
————————————— अभियुक्त

आरोप अन्तर्गत धारा :– 370/34 भा.द.वि.

अभियोजन की ओर से :– श्री खुशबुद्दीन अली, विद्वान अपर लोक अभियोजक।
बचाव पक्ष की ओर से :– श्री मो. जाकावत निगार, विद्वान अधिवक्ता।

<u>नि र्ण य</u>

1. यह कि उपरोक्त नामित अभियुक्त द्वारा भा.द.वि. की धारा **370/34** के तहत विचारण का सामना किया गया है।

2. यह कि संक्षेप में सूचिका के लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथनांक इस प्रकार है कि दिनांक–13.09.2018 को बिरसा उरॉव एवं बिनोद लोहरा दोनों मिलकर रॉची हॉस्टल में काम दिलाने के नाम पर बहला फुसला कर सूचिका को बिनोद लोहरा को सौंप दिया और बिनोद लोहरा इसे दिल्ली वाली ट्रेन में बैठाकर लेकर चला गया और अगले दिन दिल्ली उतारा, सूचिका को पता नहीं था कि बिनोद लोहरा उसे दिल्ली लाया है और बिनोद लोहरा रात में ही सुनीता देवी जिसका संस्था सुनीता इंटरप्राईजेज के हाथों में बेच दिया और कहा कि डिपों में काम करो कनभेटर आया सम्पर्क–जे–460 दूसरा तल्ला शकुरपुर आनंद बोस न्यू दिल्ली 110043 में स्थित है। कार्यालय में लाया और छोड़कर चला गया। सूचिका, सुनीता देवी को 21–22 दिन बाद बोली कि मेरा छोटा–छोटा बच्चा है, घर जाउॅगी। उसपर सुनीता देवी ने

कहा कि बिनोद लोहरा तुम्हे बेच दिया है, जिसके एवज में बिनोद लोहरा को 55000/— रूपया दिया गया है। सुनीता देवी किसी के घर में नौकरानी का काम दिन 9 बजे से रात्रि 11 बजे तक कराती थी और सूचिका के साथ मारपीट एवं डाराती धमकाती थी और सुनीता देवी बोली कि तुम्हारे घर 8000/— रूपया भेजा हूँ, पर घर पर पैसा नहीं मिला। फलस्वरूप तंग आकर सूचिका किसी तरह दिनांक—09.09.2018 को आई और थाना ए.एच.टी.यू. कोतवाली में केस दर्ज करवाई।

3. यह कि सुचिका के लिखित आवेदन के आधार पर ए.एच.टी.यू. कोतवाली थाना कांड संख्या 08/2018, दिनांक—13.09.2018 अन्तर्गत भा.द.वि. **की धारा 370** के तहत पंजीकृत कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधानोपरान्त, अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त बिनोद लोहरा को फिरार दिखाते हुए प्राथमिकी अभियुक्त बिरसा उरॉव दोनों के विरूद्ध **भा.द.वि. की धारा 370** के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर दिनांक—29.08.2022 को विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, रॉची द्वारा उपरोक्त प्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध **भा.द.वि. की धारा 370** के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया।

4. यह कि दिनांक—17.01.2025 को अभियुक्त बिरसा उरॉव के विरूद्ध **भा.द.वि. की धारा 370/34** के अन्तर्गत आरोप गठित कर आरोप अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने अपने उपर लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मॉग की।

5. यह कि अभियुक्त ने धारा 313 दं0 प्र0 सं0 के बयान के अन्तर्गत अपने विरूद्ध उपलब्ध साक्ष्य से इन्कार किया है तथा अपने को निर्दोष बताया है। अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं करवाया गया है।

6. यह कि अभियोजन द्वारा अपने वाद के समर्थन में दो अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया गया है।

7. यह कि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त के विरूद्ध उपलब्ध साक्ष्य से इंकार किया तथा यह बताया कि अभियुक्त के विरूद्ध दोषी पाने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

8. यह कि अब विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति युक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है ?

मं त व्य

अभियोजन की ओर से इस कांड में दो अभियोजन साक्षी का परीक्षण कराया गया है।

9. **अभियोजन साक्षी संख्या–1** इस कांड की सूचिका–सह–पीड़िता है, ये अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि घटना छः–सात साल पहले की है। इन्हें रॉची हॉस्टल में काम दिलाने के बहाने बिनोद लोहरा इन्हें दिल्ली ले जाकर 55,000/– रूपये में बेच दिया था। इन्हें बिनोद लोहरा ट्रेन से दिल्ली लेकर गया था और सुनीता देवी के ऑफिस में छोड़कर चला आया। वहॉ इनसे जबरन चार महिना काम कराया गया और इनके साथ मारपीट भी करता था तथा काम कराने का पैसा भी नहीं दिया जाता था। उसके बाद ये भाग कर अपने घर आई और थाना में केस की। लिखित प्रतिवेदन थाने में लिखवाई थी और उसपर ये ठेपा का निशान दी थी। इनका माननीय न्यायालय में धारा 164 द.प्र.स. के अन्तर्गत बयान दर्ज हुआ था, जिसपर इनका दो जगहों पर हस्ताक्षर है, पहचान पश्चात् हस्ताक्षर को क्रमशः **प्रदर्श–P-1/P.W.-1** एवं **प्रदर्श–P-1/1/P.W.-1** अंकित किया गया। अभियुक्त बिरसा उरॉव आज प्रतिनिधित्व पर है, जिसे देखकर साक्षी पहचानने का दावा करती है।

साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करती हैं कि अभियुक्त बिरसा उरॉव इनके घर के पास का है, इसलिए ये उसे पहचानती हूँ। बिरसा उरॉव ने इन्हें हॉस्टल में नौकरी दिलाने की बात नहीं कही थी और न ही किसी को मुझे सुपुर्द किया था। अभियुक्त बिरसा उरॉव अच्छा चाल चलन और साफ–सुथरा चरित्र का ईमान्दार आदमी है। अभियुक्त बिरसा उरॉव गरीब मजदूर आदमी है और भट्ठे में काम करता है। जिस दिन इन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा था, उस दिन इनकी बिरसा उरॉव से मुलाकात नहीं हुई थी। इन्हें बेचे जाने में अभियुक्त बिरसा उरॉव का कोई हाथ नहीं है। अभियुक्त बिरसा उरॉव निर्दोष आदमी है।

10. **अभियोजन साक्षी संख्या–2** अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि घ टना छः–सात साल पहले की है। बिनोद लोहरा ने रॉची हॉस्टल में काम दिलाने के बहाने इसकी मॉ को दिल्ली में सुनीता देवी के ऑफिस में छोड़कर चला आया और 55,000/– रूपये में बेच दिया था। जहॉ वह चार महिना काम की और उस दौरान इसकी मॉ के साथ मारपीट भी किया जाता था तथा काम कराने का पैसा भी नहीं दिया गया था। उसके बाद इसकी मॉ भाग कर घर आ गई और थाना में केस की। अभियुक्त बिरसा उरॉव आज प्रतिनिधित्व पर है, जिसे देखकर साक्षी पहचानने का दावा करती है।

साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करती हैं कि अभियुक्त बिरसा उरॉव इसके गॉव का है, इसलिए ये उसे पहचानती है। इसकी मॉ को रॉची हॉस्टल में नौकरी दिलाने के बावत में बिरसा उरॉव से कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसकी मॉ को जब बेड़ो से दिल्ली ले जाया जा रहा था, उस दिन इसकी मॉ की मुलाकात बिरसा उरॉव से नहीं हुई थी। अभियुक्त बिरसा उरॉव इनकी मॉ को किसी को सुपुर्द नहीं किया था। इसकी मॉ को बेचे जाने में अभियुक्त बिरसा उरॉव का कोई हाथ नहीं है। अभियुक्त बिरसा उरॉव निर्दोष आदमी है।

11. यह कि उभय पक्षों के तर्को को सुना गया। बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि अभियुक्त निर्दोष है और उन्हें इस वाद में झूठा फंसा दिया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन द्वारा पीड़िता सहित दो अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, पीड़िता एवं अभियोजन साक्षी संख्या–2 दोनों साक्षियों ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त बिरसा उरॉव के द्वारा घटना कारित करने या सम्मिलित होने के तथ्य का समर्थन नहीं किया है और साथ ही दोनों साक्षी स्वीकार करते हैं कि पीड़िता को रॉची होस्टल में नौकरी दिलाने के बावत बिरसा उरॉव से कोई बातचीत नहीं हुई थी और न ही वह जब पीड़िता को दिल्ली ले जाया जा रहा था, उस दिन अभियुक्त के साथ इनकी मुलाकात हुई थी। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गए आरोप को साबित करने हेतु अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाय।

12. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक बहस के क्रम में निवेदित करते हैं कि प्रस्तुत केस में अभियुक्त पर लगाए गए आरोप के समर्थन में दो साक्षियों का परीक्षण कराया गया है। अभियोजन स्वीकार करते हैं कि दोनों साक्षियों ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

13. यह कि दोनों पक्षों को सुना तथा केस अभिलेख का अवलोकन किया। केस अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत केस में अभियुक्त पर **भा.द.वि. की धारा 370/34** का आरोप है, जिसे साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत केस में पीड़िता सहित दो अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन कथनांक इस प्रकार है कि दिनांक–13.09.2018 को बिरसा उरॉव एवं बिनोद लोहरा दोनों मिलकर रॉची हॉस्टल में काम दिलाने के नाम पर बहला फुसला कर सूचिका को बिनोद लोहरा को सौंप दिया और बिनोद लोहरा इसे दिल्ली वाली ट्रेन में बैठाकर लेकर चला गया और अगले दिन दिल्ली उतारा, सूचिका को पता नहीं

था कि बिनोद लोहरा उसे दिल्ली लाया है और बिनोद लोहरा रात में ही सुनीता देवी जिसका संस्था सुनीता इंटरप्राईजेज के हाथों में बेच दिया और कहा कि डिपों में काम करो कनभेटर आया सम्पर्क–जे–460 दूसरा तल्ला शकुरपुर आनंद बोस न्यू दिल्ली 110043 में स्थित है। कार्यालय में लाया और छोड़कर चला गया। सूचिका, सुनीता देवी को 21–22 दिन बाद बोली कि मेरा छोटा–छोटा बच्चा है, घर जाऊँगी। उसपर सुनीता देवी ने कहा कि बिनोद लोहरा तुम्हे बेच दिया है, जिसके एवज में बिनोद लोहरा को 55000/– रूपया दिया गया है। सुनीता देवी किसी के घर में नौकरानी का काम दिन 9 बजे से रात्रि 11 बजे तक कराती थी और सूचिका के साथ मारपीट एवं डाराती धमकाती थी और सुनीता देवी बोली कि तुम्हारे घर 8000/– रूपया भेजा हूँ, पर घर पर पैसा नहीं मिला। फलस्वरूप तंग आकर सूचिका किसी तरह दिनांक–09.09.2018 को आई और थाना ए.एच.टी.यू. कोतवाली में केस दर्ज करवाई।

अभिलेख का अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रस्तुत केस में अभियोजन द्वारा दो अभियोजन साक्षी का परीक्षण कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–1 जो इस घटना की पीड़िता हैं इन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी आरोप नहीं लगाया है। पीड़िता अपने अभिसाक्ष्य में कहती हैं कि अभियुक्त इनके घर के पास का है, इसलिए वह उसे पहचानती है, इन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि अभियुक्त बिरसा उरॉव ने इन्हें नौकरी दिलाने की बात नहीं कही थी और न ही किसी को इन्हें सुपुर्द किया था। साथ ही इन्हें जिस दिन दिल्ली ले जाया जा रहा था, उस दिन इसे बिरसा उरॉव से मुलाकात नहीं हुई थी। इन्हें बेचे जाने में अभियुक्त बिरसा उरॉव का कोई हाथ नहीं है। अभियोजन साक्षी संख्या–2 ने भी अभियोजन साक्षी संख्या–1 द्वारा किए गए अभिकथन का समर्थन अपने अभिसाक्ष्य में किया है और इन्होंने भी बिरसा उरॉव की भूमिका पीड़िता को अपहृत करने में नहीं की है। अतः पीड़िता स्वयं अभियुक्त पर अपहरण करने का कोई आरोप नहीं लगाती है और न ही अभियुक्त की भूमिका मानव व्यापार के संबंध में संलिप्त होने का कथन अपने अभिसाक्ष्य में की है। उपरोक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया भा.द.वि. की धारा 370/34 का आरोप संदेह के घेरे में आ जाता है। इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप को सभी संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

आदेश

तद्नुसार, अभियुक्त **बिरसा उरॉव** को **भा.द.वि. की धारा 370/34** के आरोप से संदेह के आधार पर दोषी नहीं पाया गया है। अतः अभियुक्त को उक्त

आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त एवं उनके प्रतिभुओं को बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

(लेखापित)

(मिथिलेश कुमार सिंह)
अपर न्यायायुक्त –VI–
विशेष न्यायालय, C.A.W., **रॉची।**
दि0 03री जुलाई, 2025
J.O. Code – J.H.-00557

आज यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(लेखापित)

(मिथिलेश कुमार सिंह)
अपर न्यायायुक्त –VI–
विशेष न्यायालय, C.A.W., **रॉची।**
दि0 03री जुलाई, 2025
J.O. Code – J.H.-00557